राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / 1562

दिनांक 5/7/18

प्रेषित :-

तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 251 / 17 अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. अनवान लिछु बनाम हडुमान वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.18 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार नाम दुरस्ती कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 251/17

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – 1.लिछु पत्नी वाला, जाति जाट
निवासी भोजावास, बिसारणिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.हडुमान 2.डूंगरा पि.मगा 3.किस्तुरी पत्नि मगा
4.गेना पुत्र देवा 5.खेता पुत्र नरसिंगा 6.भैरा पुत्र
रावता 7.गोगा पुत्र सोना
8.तहसीलदार चौहटन।

वकील प्रार्थी :– श्री फताराम गोदारा

निर्णय

दिनांक :– 26.06.2018

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा भोजावास, हल्का बिसारणिया, तहसील चौहटन में प्रार्थीनी के खातेदारी के खेत खसरा सं. 799 रकबा 208.04 बीघा, खसरा सं. 798 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 273 रकब 81.01 बीघा के आये हुए है। प्रार्थीनी के ससूर देवा के फौत होने पर स्व.देवा का फौतगी नामान्तरकरण सं. 427 पारित किया गया जिसमें प्रार्थीनी का नाम लिछु के स्थान पर लाछी पत्नि वाला अंकित कर दिया। संवत् 2034 से 2037 की जमाबन्दी में प्रार्थीनी का नाम लाछी पत्नि वाला ही रहा तत्पश्चात् संवत् 2037 से 2040 की जमाबन्दी में प्रार्थीनी का नाम लाछी पत्नि लाला कर दिया। इस प्रकार संवत् 2037 से 2040 की जमाबन्दी में प्रार्थीनी के पति का नाम भी वाला के स्थान पर लाला कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थीनी के तमाम सरकारी दस्तावेज, मतदान पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, जॉबकार्ड, बैंक खाता डायरी इत्यादि में प्रार्थीनी का नाम लिछु पत्नि वाला ही अंकित है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीनी का नाम लाछी पत्नि लाला कर दिया , जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम लिछु पत्नि वाला ही है। उपरोक्त वादग्रस्त में प्रार्थीनी अपना गलत नाम लाछी पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

लाला के स्थान पर लिछु पत्नि वाला दुरस्त करवाना चाहती है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार चौहटन को वादग्रस्त आराजी के संबंध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया । पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बिसारणिया में पेश हुई। प्रार्थीनी उपस्थित हुई। तहसीलदार चौहटन से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत विविध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का नाम लाछी पत्नि लाला के स्थान पर लिछु पत्नि वाला दुरस्त करना न्यायोचित रहेगा।

अतः न्यायहित में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया मौजा भोजावास, हल्का बिसारणिया, तहसील चौहटन में प्रार्थीनी के खातेदारी के खेत खसरा सं. 799 रकबा 208.04 बीघा, खसरा सं. 798 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 273 रकब 81.01 बीघा में प्रार्थीनी का नाम लाछी पत्नि लाला के स्थान पर लिछु पत्नि वाला दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बिसारणिया में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

फर्द-मौका

आज दिनांक 26-06-2018 को श्रीमान तहसीलदार सा० चौहटन
के आदेशानुसार न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन के
राजस्व आवेदन सं० 251/17 उनवान लिछ्छू बनाम हनुमान
वगैरा में अन्तर्गत धारा 136 आर एल आर एक्ट में नाम
दुरुस्ती सम्बन्धी मौका जाँच एवम् तथ्यात्मक रिपोर्ट हल्का
पटवारी बिसारणिया, मौजिज मौतबिरान, सहखातेदार व रेकर्ड
से की गई। वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2071-74
मौजा भोजापास के खाता सं. 18 मे सहखातेदारी के साथ
मौजा बिसारणिया
लाछी बेवा भामा कौम जाट दर्ज है। मौजा बिसारणिया
की जमाबन्दी संवत 2030 से 33 के खाता सं. 142 में लछ्छी
बेवा वाला दर्ज है जमाबन्दी 2034 से 2073 के खाता संख्या
277 व 278 मे लछ्छी बेवा वाला दर्ज है जमाबन्दी संवत
2037 से 2040 के खाता संख्या 290 व 291 मे लछ्छी बेवा
वाला दर्ज हो गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वरूप
मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक
डायरी प्रति आदि में प्रार्थीनी का नाम लिछ्छू पत्नी वालाराम
नाम दर्ज है मजमे आम मे पूछताछ करने पर मौतबिरान
ने सही नाम लिछ्छू पत्नी वालाराम सही नाम
होना बताया। अतः मौजा भोजापास की जमाबन्दी संवत
2071 से 2074 के खाता सं० 17 व 18 मे ख.नं. 799 रकबा 208-04
बीघा एवं ख०नं. 273 रकबा 81-01 बीघा ख.नं. 798 रकबा 0-07
बीघा मे मे दर्ज नाम लाछी बेवा भामा के स्थान पर
सहीनाम लिछ्छू पत्नी वालाराम शुद्ध किया जाना उचित है।
फर्द मौका रूबरू मौतबिरान बनाई जाकर पढ़कर सुनाई
जाकर फर्द पर [illegible] ताजा / अंगूठे करवाये गये।

पटवारी बिसारणिया

ILR-धनाऊ